न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017"
कैम्प अटल सेवा केन्द्र देवली बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल 76/16/दावा/बउनवान/रामगोपाल/राजस्थान सरकार

बउनवान

1. रामगोपाल पुत्र अमरलाल।
2. महेश पुत्र मोहनलाल।
3. गजेन्द्र पुत्र मोहनलाल।
4. बनवारी पुत्र अमरलाल।
5. कान्तीबाई पुत्री अमरलाल।
6. जगन्नाथीबाई पुत्रि अमरलाल जातियान माली निवासीगण देवलीमांझी तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

उपस्थित :-

वादीगण की ओर से एडवोकेट रेवतीरमण नागरं

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89, काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिंनाक 07.07.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89, के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता स्वर्गिय श्री अमरलाल जी को माल ग्राम देवली तहसील कनवास जिला कोटा में संम्वत 2053 से 2056 की जमाबन्दी के अनुसार तत्कालीन खाता संख्या 02 की खसरा नंबर 147 की 2 बीघा आराजी खाते दर्ज है जो उनको आवटंन में प्राप्त हुई थी, जिसके नये खसरा नंबर 210/1083 रकबा 0.32 है0, है।

यह कि उक्त आराजी वादीगण के पिता अमरलाल जी के खाते की अन्य आराजी के साथ दर्ज रिकार्ड है जो वादीगण के कब्जे काश्त में है।

यह कि वादीगण के पिता के खाते की उक्त खसरा नंबर की आराजी की बन्दोबस्त विभाग द्वारा गत बन्दोबस्त संवत 2058 से 2077 में खसरा नंबर 147 के मूल रकबे से अधिक का आवटंन हो जाने के कारण मानते हुए तथा विसंगति का निस्तारण नंही होने से खाता हाजा में आंवटित खसरा नंबर 147 को सिवायचक दर्ज कर दिया गया है, सेटलमेंन्ट आयुक्त के द्वारा वादीगण को सुनवाई का मौके

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

दिये बिना ही सिवायचक दर्ज कर दिया गया है, जिसका ज्ञान वादीगण को होने पर वादीगण के द्वारा राजस्व अधिकारियों को सूचित किया तथा राजस्व केम्पों में भी उक्त शिकायत को रखा लेकिन प्रार्थीगण की बात पर किसी ने ध्यान नंही दिया जबकि उक्त आज भी वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है, राजस्व कर्मचारियों द्वारा इस हेतू इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा का वाद पेश करना ही विकल्प बताया इस कारण यह वाद पेश किया गया है।

यह कि अमरलाल के पुत्र मोहनलाल जी का भी स्वर्गवास हो गया है इस कारण इनके स्थान पर वादीगण 02, 03, 04 का नाम खाते में दर्ज होना आवश्यक है।

यह कि वादीगण के द्वारा राजस्व अधिकारियों से काफी निवेदन करने पर भी वादीगण के खसरा नंबर 147 जिसके नये खसरा नंबर 210/1083 रकबा 0.32 है0, को वापस वादीगण के खाते दर्ज नंही करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

यह कि वाद ग्रस्त आराजी माल ग्राम देवली पटवार हल्का देवली तहसील कनवास में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

वादी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि माल ग्राम देवली पटवार हल्का देवली तहसील कनवास की वर्तमान खसरा नंबर 260 की खसरा नंबर 210/1083 की रकबा 0.32 हे0, चाही तृतीय आराजी को वादीगण के खाते दर्ज करने की डीक्री सादीर पारित की जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई, तामील प्राप्त जो बाद शामिल पत्रावली की गयी। पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पंचायत देवली में प्रस्तुत हुई। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवली के खसरा नंबर 210/1083 की रकबा 0.32 है0, पर वादीगण 01 लगायत 04 तक का कब्जा मौके पर है जिसमें राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का ऐतराज नंही है।

हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि माल ग्राम देवली पटवार हल्का देवली की वर्तमान खाता 260 की खसरा नंबर 210/1083 की रकबा 0.32 हे0, चाही तृतीय आराजी को वादीगण के खाते दर्ज करने की डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम देवली पटवार हल्का देवली की वर्तमान खाता 260 की खसरा नंबर 210/1083 की रकबा 0.32 हे0, चाही तृतीय आराजी को वादीगण के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णयानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 07.07.2017 को मजमेआम में सुनाया गया।

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा "न्याय आपके द्वार 2017"

कैम्प अटल सेवा केन्द्र मामोर बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर.ए.एस)

मिसल 76/16/दावा/बउनवान/रामगोपाल/राजस्थान सरकार

बउनवान

1. रामगोपाल पुत्र अमरलाल।
2. महेश पुत्र मोहनलाल।
3. गजेन्द्र पुत्र मोहनलाल।
4. बनवारी पुत्र अमरलाल।
5. कान्तीबाई पुत्री अमरलाल।
6. जगन्नाथीबाई पुत्रि अमरलाल जातियान माली निवासीगण देवलीमांझी तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

वाद खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89, काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं 76/16 सन 2016 निर्णय दिंनाक 07.07.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रेवतीरमण नागर स्वंय एवं प्रतिवादी क्रम 1 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम देवली पटवार हल्का देवली की वर्तमान खाता 260 की खसरा नंबर 210/1083 की रकबा 0.32 हे0, चाही तृतीय आराजी को वादीगण के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरहत ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.07..2017 को जारी की गई।

मोहर ....

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा	------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा....		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

T.C

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

प्रमोद कुमार सिंघल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास